



2026:AHC-LKO:15891-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 334 सन 2005

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव विधि एवं एक अन्य; सह संबद्ध
रिट याचिका संख्या 560 एस/एस 92

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा सचिव एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, एच.पी. श्रीवास्तव अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	: सलिल कुमार श्रीवास्तव, आई.बी. सिंह

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. यह दोषपूर्ण अपील 20.05.2005 को दायर की गई थी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय-VIII नियम-5 के तहत ऐसी अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा से परे है। 20.05.2005 तक इसमें 4 महीने और 17 दिनों का विलंब हो चुका है। आज तक इस विलंब को माफ नहीं किया गया है। आवेदन पिछले 20 वर्षों से लंबित है।
2. किसी भी प्रकार की रोक के अभाव में, चुनौती दिए गए निर्णय का पालन किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, हमने अपील दायर करने में हुये विलंब को माफ करने के आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथ-पत्र का अध्ययन किया है और पाया है कि फाइल को एक डेस्क/कार्यालय से दूसरे डेस्क/कार्यालय में स्थानांतरित करने के उल्लेख के अलावा, 127 दिनों से अधिक के इस विलंब का कोई अन्य तर्कसंगत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चुनौती दिया गया निर्णय 14.09.2004 का है। दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है।

3. विलंब माफी के आवेदन को अस्वीकार किया जाता है।

4. फलस्वरूप, अपील याचिका भी खारिज की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 26, 2026

एम.वी.एस./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।